भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-O1102022-239271 SG-DL-E-01102022-239271

असाधारण **EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] No. 4381 दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/ आश्विन 7, 1944

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273

DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

[N. C. T. D. No. 273

भाग IV **PART IV**

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली 29 सितम्बर, 2022

एफ.डीई. 2(8) (37)/ई-II/2004/2336-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10 जुलाई 1975 की अधिसूचना फा0 सं0 2(41)/72-एस | के अधिक्रमण में एवं ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों के संबंध में अथवा विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद दवारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृशि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेज़ी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान) के पद की भर्ती-पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेज़ी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान), भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स/वेतनमान में वेतन—स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स/वेतनमान में वेतन—स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति,
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शिक्त :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों के संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्नातकोत्तर अध्यापक (19 विषय) 1. हिन्दी, 2. संस्कृत, 3. उर्दू, 4. पंजाबी, 5. बंगाली, 6. कृषि, 7. जीव विज्ञान, 8. रसायन विज्ञान, 9. वाणिज्य, 10. अर्थशास्त्र, 11. अंग्रेज़ी, 12. भूगोल, 13. इतिहास, 14. बागवानी, 15. गणित, 16. भौतिक विज्ञान, 17. राजनीति विज्ञान, 18. मनोविज्ञान 19. समाजशास्त्र
2.	पदों की संख्या	:	13967 (2020)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह– 'ख',
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन-स्तर	:	8 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—8 (47600—151100 / —रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद

6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के :	तीस वर्ष से अधिक नहीं
	लिए आयु सीमा	(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
		कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय।)
15		1
		टीप : निर्धारित आयु–सीमा हेतु निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी द्वारा
		यथाविज्ञापित होगी।
	\$ 100 mm 1	
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों स :	अनिवार्य योग्यता :
	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य	307117-311-3311
	योग्यताएँ	1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कुल योग का कम से कम
		50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में निष्णात—उपाधि अथवा
		निम्नलिखित विषयों में समकक्ष ग्रेड :
		पी.जी.टी. (हिन्दी) – हिन्दी
		पी.जी.टी. (संस्कृत) – संस्कृत
		पी.जी.टी. (पंजाबी) — पंजाबी
		पी.जी.टी. (उर्दू) – उर्दू
		पी.जी.टी. (बंगाली) – बंगाली
	=	पी.जी.टी. (कृषि) – कृषि
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	पी.जी.टी. (जीव विज्ञान) – वनस्पति विज्ञान/जंतु विज्ञान/ जीवन
- 1		विज्ञान / जीवविज्ञान / आनुवंशिकी / सूक्ष्म—जीवविज्ञान / जैव
4		प्रौद्योगिकी / आण्विक जीवविज्ञान / प्लांट फिजीआलॉजी। बशर्ते, उन्होंने
		रनातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का अध्ययन किया हो।
		पी.जी.टी. (वाणिज्य) — वाणिज्य में निष्णात की उपाधि
		पी.जी.टी. (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान / जीव रसायन
		विज्ञान
		पी.जी.टी. (अंग्रेजी) — अंग्रेजी
		पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र) — अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/व्यवसाय
- 4	-	अर्थशास्त्र
		पी.जी.टी. (भूगोल) – भूगोल
1		पी.जी.टी. (इतिहास) – इतिहास
		पी.जी.टी. (बागवानी) – बागवानी
		पी.जी.टी. (गणित) – गणित / अनुप्रयुक्त गणित
		पी.जी.टी. (मनोविज्ञान) — मनोविज्ञान
		पी.जी.टी. (राजीनीति विज्ञान) – राजीनीति विज्ञान
	÷ 1	पी.जी.टी. (भौतिक विज्ञान) – भौतिक विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स/अनुप्रयुक्त
13.4		भौतिक विज्ञान / परमाणु भौतिक विज्ञान
		पी.जी.टी. (समाजशास्त्र) — समाजशास्त्र
		2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक (बी.एड);
		(, -),
		अथवा
		 बी.ए, बी.एड/बी.एस.सी, बी.एड; अथवा एनसीटीई मान्यता प्राप्त किसी
		संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.—एम.एड.
		टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में डीएसएसएसबी / सक्षम
		प्राधिकारी के विवेक से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्व करते हुए
		योग्यताएं शिथलनीय हैं।
	the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the section of the section of the second section of the se	at and tradition of

			के अभिमत से अनुसूचित जा भरने के लिए अपेक्षित अनु पर्याप्त संख्या में मिलने की	केसी अवस्था में डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी ति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को मव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों की । संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं ते हुए डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक
			वांछनीय योग्यता : नहीं अनुभव : नहीं	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु–सीमा – नहीं शैक्षणिक योग्यता – हाँ	•
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष।	
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	1. पदोन्नित — 50 प्रतिशत 2. सीधी भर्ती — 50 प्रतिश	
11.	यदि पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है		सेवा सहित निम्न मु प्रशिक्षित स्नातक अध्य	
			भरक संवर्ग	पदोन्नत पद
			टी.जी.टी (हिन्दी)	पी.जी.टी (हिन्दी)
			टी.जी.टी (संस्कृत)	पी.जी.टी (संस्कृत)
1			टी.जी.टी (पंजाबी)	पी.जी.टी (पंजाबी)
			टी.जी.टी (उर्दू)	पी.जी.टी (उर्दू)
			टी.जी.टी (बंगाली)	पी.जी.टी (बंगाली)
			टी.जी.टी (अंग्रेजी)	पी.जी.टी (अंग्रेजी)
			टी.जी.टी (प्रांकृतिक	पी.जी.टी (जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान/
			विज्ञान / शारीरिक	भौतिक
			विज्ञान)	विज्ञान / कृषि / बागवानी / मनोविज्ञान)
			टी.जी.टी (गणित)	पी.जी.टी (गणितं/भौतिक विज्ञान/रसायन
		1		विज्ञान) पी.जी.टी (वाणिज्य/अर्थशास्त्र/भूगोल/
			टी.जी.टी (सामाजिक विज्ञान)	पीं.जी.टी (वाणिज्य/अर्थशास्त्र/भूगोल/ इतिहास/राजनीतिक
			विशाम)	विज्ञान/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र)
			है वे पदोन्नित के लिए विन् लिए विचारणीय होंगे बशते अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेव	विकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली चारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के हैं कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी वा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी ने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी

			परिवीक्षा अवधि अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जो ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति सिमिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		1. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. अपर सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. विशेष शिक्षा निदेशक / अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. विशेष शिक्षा निदेशक / अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 5. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 6. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 7. विशेष शिक्षा निदेशक / अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय राजधानी
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं हैं।

नोटः दिनांक 10 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं0 फा0 2 (41)/72—एस. II को दिनांक 25 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना सं0 फा0 2 (19)/79—एस. II, दिनांक 26 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं0 फा0 2 (3)/94— शिक्षा तथा दिनांक 4 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं0 फा0 27 (3)/94—शिक्षा के द्वारा यथासंशोधित किया गया।

शिंगारे रामचन्द्र महादेव, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION NOTIFICATION

Delhi the 29th September, 2022

- F. DE.2(8) (37)/E-II/2004/2336:—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O. 3532 dated 24th September, 1968 and in supersession of this Government's Notification No. F.2(41)/72-S. II, dated 10th of July 1975 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Post Graduate Teachers (Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi, Bengali, Agriculture, Biology, Chemistry, Commerce, Economics, English, Geography, History, Horticulture, Mathematics, Physics, Political Science, Sociology and Psychology) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-
 - Short title and commencement.-(i) These rules may be called Post Graduate Teachers (Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi, Bengali, Agriculture, Biology, Chemistry, Commerce, Economics, English, Geography, History, Horticulture, Mathematics, Physics, Political Science, Sociology and Psychology) Recruitment Rules, 2022.

- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level of pay in the pay matrix/scale of pay. The number of the said post, their classification and level in the pay matrix/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

 Name of Post. Number of post. 	:	Post Graduate Teachers (19 Subjects). 1. Hindi. 2. Sanskrit. 3. Urdu. 4 Punjabi. 5. Bengali. 6. Agriculture. 7. Biology. 8. Chemistry. 9. Commerce. 10. Economics. 11. English. 12. Geography. 13. History. 14 Horticulture. 15. Mathematics. 16. Physics. 17. Political Science. 18 Psychology. 19. Sociology. 13967* (2020) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification.	:	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group, B.
4. Pay Level in the Pay Matrix.	:	8 Remarks: Level -8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.
5. Whether selection post/ non-selection post.	:	Selection Post.
6. Age Limits for direct recruitment.	:	Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age-limit will be as advertised by DSSSB.

7. Educational and other : Essential Qualification:			
7. Educational and other		Master Degree in concerned subject from a recognized	
qualifications required for direct		University/Institution with at least 50 percent marks in aggregate or	
recruits.		equivalent grade in the following subjects:-	
		PGT (Hindi) - Hindi.	
		PGT (Sanskrit) - Sanskrit.	
	- 1		
		PGT (Punjabi) - Punjabi.	
	- 1	PGT (Urdu) - Urdu.	
		PGT (Bengali) - Bengali.	
		PGT (Agriculture) - Agriculture.	
		PGT (Biology) - Botany/Zoology/Life science/Bio Sciences/	
		Genetics/Micro-Biology/Bio Technology/ Molecular Biology/Plant	
		Physiology provided they have studied Botany and Zoology at Graduation	
		level.	
		PGT (Commerce) - Master's Degree in Commerce.	
		PGT (Chemistry) - Chemistry/Bio Chemistry.	
		PGT (English) - English	
		PGT (Economics) - Economics/Applied Economics/Business	
		Economics.	
		PGT (Geography) - Geography.	
		PGT (History) - History.	
		PGT (Horticulture) - Horticulture.	
		PGT (Maths) - Mathematics/Applied Mathematics.	
		PGT (Psychology) - Psychology.	
		PGT (Political Science) – Political Science.	
		PGT (Physics) - Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear	
		Physics.	
		PGT (Sociology) - Sociology.	
		2. Bachelor of Education (B.Ed.) from a recognized University;	
		Or	
		B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed.; Or three year integrated B.EdM.Ed. from any	
		NCTE recognized institution.	
		Note -1: The qualifications are relaxable at the discretion of the	
		DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the	
		case of candidates otherwise well qualified.	
[일정기] - 그렇게 그런 나는 생각 나		Note-2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the	
		discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded	
		in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or	
		Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the DSSSB/Competent	
		Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these	
		communities possessing the requisite experience are not likely to be	
		available to fill up the vacancies reserved for them.	
		Desirable Qualification: No.	
		Experience: No.	
8. Whether age and Educational	:	Age - No.	
Qualification as prescribed for Direct		Educational Qualifications - Yes	
		Educational Quantications - 105	
Recruitment will apply in the case of			
promotees.			
9. Period of Probation, if any.	:	02 Years for direct recruits.	

10. Method of Recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various		 Promotion - 50% Direct Recruitment - 50%
methods. 11. In case of recruitment by promotion/ Deputation/absorption grades from which promotion/ Deputation/absorption to be made.		Promotion: 1. TGTs in the subjects mentioned under the head Feeder Cadre below in Level-7of Pay Matrix having 02 years regular service in Directorate of Education. Feeder Cadre Promotional Post TGT (Hindi) PGT (Hindi) TGT (Sanskrit) PGT (Sanskrit) TGT (Punjabi) PGT (Punjabi) TGT (Urdu) PGT (Urdu) TGT (English) PGT (English) TGT (Natural Science/Physical Horticulture/Psychology) TGT (Mathematics) PGT (Mathematics/Physics/ (Mathematics) Chemistry) TGT (Social PGT Science) (Commerce/Economics/Geography/History/Political Science/Psychology/Sociology. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	1	i C itte

Note: Notification No. F.2 (41)/72-S.II, the 10th July, 1975 as amended *vide* Notification No. F.2 (19)/79-S.II, the 25th April, 1981, Notification No. F.2 (3)/94-Edn, the 26th February, 1996 and Notification No. F. 27(3)/94-Edn, the 4th November, 1999.

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy. (Education)